

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9326

दिनांक : 24.9.26

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों में कुछ मतदान भवन घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मतदान केन्द्र भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे में इन मतदान भवनों पर मतदाताओं की भीड़-भाड़ होने एवं असमंजस के कारण मतदाताओं को अपने संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, एवं मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। मतदाता के पास मतदान केन्द्र की जानकारी पूरी न होने से मतदान केन्द्र में मतदान दल से भी पूछताछ करने की स्थिति में मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है।

अतः मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जाने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर "मतदाता सहायता केन्द्र" (Voter Assistance Booth) स्थापित किये जावे। इन केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया जाये। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित कार्मिकों के पास मतदाता सूची रहेगी जिससे वे मतदाताओं को उस भवन के सही मतदाता केन्द्र पर जाने और उनके मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगे। जिन मतदान भवनों पर पांच तक मतदान केन्द्र हैं वहाँ दो सहायक तथा जिन भवनों में पांच से अधिक मतदान केन्द्र हैं वहाँ स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पदस्थापित कार्मिकों के मोबाईल फोन नम्बर भी संकलित कर लिये जाये ताकि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था भी की जावे।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

24/9/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 24.9.26

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9327-30

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव